

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9473

लखनऊ। दिनांक -04-03-2022

विषय:- फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ.सी.टी.सी." के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9445, दिनांक 17.02.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पताका-क), जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में कुछ जनपदों द्वारा राज्य स्तर से "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" के गठन में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले सम्बन्धित विभागों की जानकारी चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति में नामित सदस्यों को "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" में सम्मिलित कर उक्त समिति का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

तद्दिनांक

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 2-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4-उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 5-अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

लखनऊ। दिनांक ~~04-03-2022~~

विषय:- फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ.सी.टी.सी." के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9445, दिनांक 17.02.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पताका-क), जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-7-2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में कुछ जनपदों द्वारा राज्य स्तर से "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" के गठन में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले सम्बन्धित विभागों की जानकारी चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति में नामित सदस्यों को "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" में सम्मिलित कर उक्त समिति का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

तद्दिनांक

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9474-78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 2-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4-उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 5-अधिशारी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0।



संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)